<u>कार्यालय महानिबन्धक</u>

<u>उच्च न्यायालय, इलाहाबाद</u>

विषय – निष्प्रयोज्य वाहनों एंव पुराने टायरों की नीलामी।

नीलामी की तिथि – 28 *मार्च 2020, दिन–शनिवार*

स्थान – मा0 उच्च न्यायालय परिसर(गेट नं0 3बी के पास)

समय – प्रातः 11:00 बजे

<u>वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर,माडल एवं प्रकार</u>

S.No.	Staff Car No.	Make & Model	S.No.	Staff Car No.	Make & Model
1	UP 70 AG 0603	HondaCity,2009	9	UP 70 AG 0624	HondaCity,2009
2	UP 70 AG 0605	HondaCity,2009	10	UP 70 AG 0625	HondaCity,2009
3	UP 70 AG 0607	HondaCity,2009	11	UP 32 BG 5007	HondaCity,2009
4	UP 70 AG 0615	HondaCity,2009	12	UP 32 BG 5012	HondaCity,2009
5	UP 70 AG 0617	HondaCity,2009	13	UP 70 AG 0099	InnovaCar, 2005
6	UP 70 AG 0619	HondaCity,2009	14	UP 70 AG 1161	TataManza,2012
7	UP 70 AG 0621	HondaCity,2009	15	UP 70 AG 0708	Tata Ace 2010
8	UP 70 AG 0623	HondaCity,2009			

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. वाहन *'जहाँ है जैसा है'* कि स्थिति में उच्च न्यायालय परिसर में नीलाम तथा निर्गत किया जायेगा।
2. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण अवलोकन कर लें।नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से दो दिन पूर्व अर्थात 26.03.2020 को अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय परिसर में गेट नं0 3बी0 के पास अवलोकन किया जा सकता है।
3. *वित्तविभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेसन न0 36/2017–सेन्ट्रल टैक्स(रेट) दिनांकित 13.10. 2017, के अधीन जारी सर्कुलर के अनुसार बोली दाता का जी0एस0टी0 मे पंजीकरण अनिवार्य है।* इस सम्बन्ध में जी0एस0टी0 मे *अस्थायी पंजीयन (कैजुअल/टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।*
4. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।
5. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया 10,000/–(रू0 दस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा तथा *जी0एस0टी0 में पंजीकृत होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा*। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
6. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
7. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि को नीलामी से एक सप्ताह में जमा करानी होगी । यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि उपरोक्त के अनुरूप जमा नहीं करायी जाती तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

...क्रमशः पेज 2

8. निष्प्रयोज्य नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप से स्वीकृत मान्य होगा।

9. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर0टी0ओ0 आफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स एवं जी0 एस0 टी0 जमा करके वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।

10. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

11. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद इलाहाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

Sd/-

महानिबन्धक

उच्च न्यायालय,इलाहाबाद

22.02.2020